

ACE/No/Gen/25-26/087

13/11/2025

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
प्लॉ 3/1, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिकिल लाईन्स फाउण्ड, जयपुर।

क्रमांक:एफ 9(4)(33) छात्रवृत्ति/शै.स.2024-25/सान्याअवि/05118 PF 8291603

दिनांक : ई हस्ताक्षरित

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 25.10.2025 में आंशिक संशोधन कर विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमैट्रिक उपस्थिति करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक 15 नवम्बर 2025 से बढ़ाकर 25 दिसम्बर 2025 निर्धारित की जाती है।

शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

सक्षम स्तर से अनुमोदित

(अशोक कुमार)
अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)

क्रमांक:एफ 9(4)(33) छात्रवृत्ति/शै.स.2024-25/सान्याअवि/05118 PF 8291603

दिनांक : ई हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
7. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
8. जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी, (समस्त)।
9. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
10. अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
11. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त.....।
12. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....।
13. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.....।
14. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....।
15. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....।
16. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.....।
17. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक आई. टी.)मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करवाने तथा वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
18. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने तथा अपने जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
19. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
20. संयुक्त/उप/सहायक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).....।
21. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

Digital Signature of Ashok Kumar
Designation : Additional Director
Date: 2025.11.12 00:25:13 IST
Reason: Approved



Forward to

NB/NB/SC

Praven Sr

Gautam Sr / Suman Sr

Sr